

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरु
पीठासीन अधिकारी :- अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्या :- 73/24
खीयाराम पुत्र तखाराम जाति मेघवाल निवासी पारेवडा तहसील बीदासर जिला चूरु

वादी

बनाम

1. शान्तीदेवी पत्नि सुगनाराम जाति नायक निवासी नबासर तहसील बीदासर जिला चूरु
2. तुलछाराम पुत्र सुगनाराम जाति नायक निवासी नबासर तहसील बीदासर जिला चूरु
3. धर्मराम पुत्र सुगनाराम जाति नायक निवासी नबासर तहसील बीदासर जिला चूरु
4. पन्नाराम पुत्र सुगनाराम जाति नायक निवासी नबासर तहसील बीदासर जिला चूरु
5. भंवरलाल पुत्र सुगनाराम जाति नायक निवासी नबासर तहसील बीदासर जिला चूरु
6. मोटाराम पुत्र सुगनाराम जाति नायक निवासी नबासर तहसील बीदासर जिला चूरु
7. मोहनराम पुत्र सुगनाराम जाति नायक निवासी नबासर तहसील बीदासर जिला चूरु
8. राजुराम पुत्र सुगनाराम जाति नायक निवासी नबासर तहसील बीदासर जिला चूरु
9. शिवलाल पुत्र सुगनाराम जाति नायक निवासी नबासर तहसील बीदासर जिला चूरु
10. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा गेडाप तहसील सुजानगढ जिला चूरु
11. उप पंजीयक अधिकारी बीदासर जिला चूरु
12. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरु

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।


उपस्थित :-


मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी

-: निर्णय :-

दिनांक:- 28-2-24


वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नो के संयुक्त खातेदारी कब्जा काशत उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 229 दो सो उनतीस तादादी 4.1228 चार दशमलव एक दो दो आठ हेक्टेयर, खसरा संख्या 231 दो सो इकतीस तादादी 3.6042 तीन दशमलव छः जीरो चार दो हेक्टेयर, खसरा संख्या 235 दो सो पेंतीस तादादी 0.0885 जीरो दशमलव जीरो आठ आठ पांच हेक्टेयर कुल कित्ता 3 कुल रकबा 7.8155 सात दशमलव आठ एक पांच पांच हेक्टेयर वाके रोही ग्राम नबासर तहसील बीदासर जिला चूरु में स्थित है जिसमें वादी 1/2 एक बट्टा दो हिस्सा भूमि का खातेदार कृषक है। जिसे आगे वादगत भूमि कहा गया है। मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नो की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन किया हुआ है। मुताबिक मौखिक विभाजन के वादी की हिस्सा भूमि खसरा संख्या 229 दो सो उनतीस तादादी




उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरु)



4.1228 चार दशमलव एक दो दो आठ हेक्टेयर में पूर्वी साईड में आई हुई है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नो अपने-अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नो का खान-पान, रहन-सहन अलग-अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादी ने दिनांक 15.10.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नो से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेत का विधिवत विभाजन करवाकर अपने-अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक-पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नो साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नो ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नो को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नो अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नो को वर्जित कराये कि वोह वादी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रुकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नो की ऐलानियां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत



उपखण्ड अधिकारी
वादावर (भूक)


रोही ग्राम नबासर तहसील बीदासर जिला चूरु में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि-आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

वादी वकील की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादी द्वारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी कब्जा काशत के आधार पर वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहता है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :-

अतः वादी का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम नबासर खसरा संख्या 229, 231, 235 तादादी कमशः 4.1228, 3.6042, 0.0885 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 7.8155 हेक्टेयर वादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है। जो वादगत खसरा संख्या 229 तादादी 4.1228 हेक्टेयर में पूर्वी साईड की है। तहसीलदार बीदासर से वादी की 1/2 हिस्सा भूमि का कब्जा काशत अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। इस हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। निर्णय आज दिनांक 28-2-25 को सरे इजलास सुनाया गया।



उपस्थित अधिकारी
उपस्थित अधिकारी
बीदासर

प्रारम्भिक डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

खीयाराम बनाम शांतिदेवी आदि

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

मुकदमा नं:- 73/25

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रु-ब-रु.....हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्ई पेश होकर हुकम दिया जाता है व प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम नबासर खसरा संख्या 229, 231, 235 तादादी कमशः 4.1228, 3.6042, 0.0885 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 7.8155 हेक्टेयर वादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है। जो वादगत खसरा संख्या 229 तादादी 4.1228 हेक्टेयर में पूर्वी साईड की है। तहसीलदार बीदासर से वादी की 1/2 हिस्सा भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

चीज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह.....

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक.....को अदा करें।


बसबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख..... 28/2/25

मुहर

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा बीदासर (रुल)

मुद्ई	रुपया	पै.	मुद्दालाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			गुतफरिक		
गुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकना का, चाहे डिक्री के जश्िये दिलाया गया हो या नही पर्ज करना चाहिये।



उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (रुल)